

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 43/2024 बउनवानी रईस खान बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार मलारना डूंगर पुत्र श्री नामदार खान निवासी मलारना डूंगर

GCMS No-2024/97

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	ज.स.अ.सू.का.अ. संख्या 43/2024
20.9.2024	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित नहीं। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 22.6.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. तहसीलदार मलारना डूंगर के कार्यालय का पत्र क्रमांक /रीडर/सूकाअ/2024/368 दिनांक 11.6.2024 के अनुसार तहसीलदार द्वारा सूचना भिजवायी है जिसके परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार मलारना डूंगर के पत्र क्रमांक/सतर्कता/2023/2016 दिनांक 19.10.2023 के बिन्दु संख्या 3 के मुताबिक आपने प्रार्थी के नाम ग्राम मलारना डूंगर ए में 15 बिस्वा भूमि स्थित बताया है प्रार्थी द्वारा चाही गयी सूचना में भूमि से संबंधित से नहीं मांगी है चाही गयी सूचना की सूचना ओर पटवारी हल्का मलारना डूंगर व पटवारी हल्का शेषा को तहसीलदार द्वारा पालना हेतु लिखा गया जो सूचना चाही है उसका संबंध प्रार्थी की भूमि से नहीं हेने के परिप्रेक्ष्य में चाही गयी सूचना देवे।</li> </ol> <p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा अपीलान्त को अन्दर मियाद उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।</p> <p>नियत पेशी पर अपीलान्त उपस्थित नहीं। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/रीडर/आरटीआई/2024/607 दिनांक 4.9.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्त द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 22.6.2024 में चाही गयी सूचना का यद्यपि पूर्ण विवरण अंकित नहीं है इसके बावजूद भी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा अपीलान्त को जरिये पत्रांक 593 दिनांक 2.9.24 से सूचना भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्त खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।</p> <p>पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्त द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 22.6.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना तहसीलदार मलारना डूंगर के पत्रांक 593 दिनांक 2.9.2024 से अपीलान्त को भिजवायी जा चुकी है। चूंकि अपीलान्त द्वारा चाही गयी सूचना तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा अपीलान्त के उपलब्ध करवायी जा चुकी है इसलिए अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p>	

(डॉ० खुशाल यादव)  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

